राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना

Scheme of Reimbursement of Membership Fee of Credit Information Companies to State Channelizing Agencies

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)

NATIONAL SCHEDULED CASTES FINANCE AND DEVELOPMENT CORPORATION

(A CPSE of Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India)

राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को क्रेडिट सूचना कंपनियों की सदस्यता शुल्क की प्रतिपूर्ति योजना

उद्देश्य

गरीबी रेखा के दोगुने से कम आय पर जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को प्रदत्त ऋण का विवरण अनुरक्षित करने की प्रणाली बनाने के लिए राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों को उत्साहित और प्रेरित करना ताकि भविष्य में अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए आसानी से बैंक ऋण प्राप्त कर सके।

प्रतिपूर्ति के लिए एससीए की पात्रता

योजना उन एससीए के लिए लागू है जो वर्तमान में एनएसएफडीसी से संवितरण के प्राप्त कर रहे हैं और सभी चारों सीआईसी की सदस्यता प्राप्त कर ली है ।

सहायता का स्वरूप

सदस्यता प्राप्त करने के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु निम्नलिखित क्रेडिट सूचना कंपनियाँ जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पंजीकरण का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है।

(i) क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड
(ii) ईक्विफैक्स क्रेडिट इनफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
(iii) एक्सपीरियन क्रेडिट इनफॉर्मेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी
(iv) सीआरआईएफ हाई मार्क क्रेडिट इनफॉर्मेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

योजना को वित्त वर्ष 2016-17 से लागू किया जाएगा। योजना में सीआईसी का सदस्यता शुल्क और और पहले तीन वर्षों की वार्षिक फीस की प्रतिपूर्ति शामिल होगी। तदोपरांत, यानि तीन साल के बाद सीआईसी का सदस्यता शुल्क स्वयं एससीए द्वारा ही वहन किया जाएगा।

प्रतिपूर्ति के लिए प्रक्रिया

(i) प्रोत्साहन का सख्ती (कड़ाई) से प्रतिपूर्ति के आधार पर विचार किया जाएगा।
(ii) एससीए को प्रतिपूर्ति के दावे के लिए सदस्यता शुल्क की रसीद की फोटोकॉपी देनी होगी।

Scheme of Reimbursement of Membership Fee of Credit Information Companies to State Channelizing Agencies

Objective

To encourage and motivate the State Channelizing Agencies to establish a system of building credit history of persons belonging to Scheduled Castes living below double the poverty line so that they could easily access bank credit in future for scaling up their business.

Eligibility of SCAs for reimbursement

The scheme is applicable to those SCAs that are currently availing disbursement from the NSFDC and have acquired membership of all the four CICs.

Nature of Assistance

Reimbursement of charges for acquiring memberships of the following Credit Information Companies that have been granted certificate of registration by the Reserve Bank of India.

(i) Credit Information Bureau (India) Limited
(ii) Equifax Credit Information Services Private Limited
(iii) Experian Credit Information Company of India Private Limited
(iv) CRIF High Mark Credit Information Services Private Limited

The scheme shall be implemented from the financial year 2016-17. The scheme shall include reimbursement of membership fees of CICs and annual fees for the first three years. Subsequently i.e. after three years, the membership fees of CICs will be borne by the SCAs themselves.

Procedure for reimbursement

(iii) The incentive shall be considered strictly on reimbursement basis.
(iv) SCAs shall submit photocopy of the receipt of memberships for claiming reimbursement.

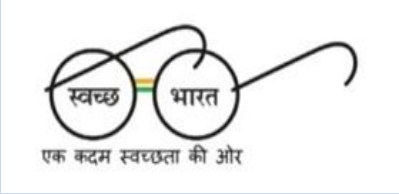

नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कार्पोरेशन

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत भारत सरकार का उपक्रम)

National Scheduled Castes Finance and Development Corporation

(A CPSE of Ministry of Social Justice & Empowerment, Government of India)

(ISO 9001:2008 Certified Company)

14th Floor, SCOPE Minar, Core 1 & 2, Laxmi Nagar, Delhi-110 092

Phone: 011- 22054392, 22054394, 22054396 Fax: 011-22054395

Website: www.nsfdc.nic.in

e-mail: support-nsfdc@nic.in